भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region.
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0-3/Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2465054,2463102, 2465496,2463102
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्र. 229 /प्र.स./वन
दिनांक 16/1/07

क्र.: 6-MPC045/2006-BHO/2280

दि0 09-01-2007

प्रति,
प्रधान सचिव(वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय: झाबुआ एवं रतलाम जिले के अन्तर्गत वनमण्डल झाबुआ एवं रतलाम की 24.460 हे0 वनभूमि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-MPC045/2006-BHO/1699 दिनांक 18/09/2006 ।
2. मु0व0सं0(भू-प्रबंध), म0प्र0 का पत्रांक एफ-5/455/06/10-11/2836 दिनांक 23/12/2006 ।

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबन्ध) म0प्र0 के उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/455/06/10-11/1759 दिनांक 10.08.2006 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तो के अधीन, सिद्धान्तत: सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तो की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अत: अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से झाबुआ एवं रतलाम जिले के अन्तर्गत वनमण्डल झाबुआ एवं रतलाम की 24.460 हे0 वनभूमि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 24.500 हे0 गैर वनभूमि (भूमि बैंक ग्राम वन समिति हिम्मतगढ़, परिक्षेत्र-पेटलावाद, झाबुआ वनमण्डल, झाबुआ) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
   ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
   स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

...2

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को कार्पो... बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस-I, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 में स्थित... संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. पाइप लाईन भूमि सतह से कम से कम 1 मीटर नीचे बिछाई जायेगी ।

5. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय... सरकार, नई दिल्ली से लेने के उपरान्त ही वनभूमि पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा...

(डॉ0 बी0एन0 ...
वन संरक्षक ...

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी ... दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि0, मध्यप्रदेश, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल...
3. वनमण्डलाधिकारी, झाबुआ वनमण्डल, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी, रतलाम वनमण्डल, जिला-रतलाम मध्यप्रदेश ।
5. वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोयली दहेज एवं कोयली रतलाम ... परियोजना 3/150, गुजरात रीफाइनरी टाउनसिप डाकघर जवाहर नगर-391320, जिला-बड़ोदरा, गुज...
6. आदेश पत्रावली ।

(डॉ0 बी0एन0 ...
वन संरक्षक ...

KARTIK/APP/ORDER/OTHERS